# न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–2021/00094 (94/2021) 225 आर.टी.ए.

रूलदु सिंह पुत्र स्व.श्री मल सिंह जाति जट सिख आयु ६० वर्ष निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांट

बनाम

1– रेशम सिंह पुत्र स्व.श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

2– मिठू सिंह पुत्र स्व.श्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3– गुलजार सिंह पुत्र स्व.श्री हरदत्त सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद हराज, तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)

4– मुखत्यार सिंह पुत्र स्व.श्री हरदत्त सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद हराज, तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)

5– हरनेक सिंह पुत्र स्व.श्री हरदत्त सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद हराज, तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)

6– सिकन्दर सिंह पुत्र स्व.श्री गुरनाम सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

7– जालन्दर सिंह पुत्र स्व.श्री गुरनाम सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

8– बलकरण सिंह पुत्र स्व.श्री मेजर सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

9– जसकरण सिंह पुत्र स्व.श्री मेजर सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

10– दर्शन सिंह पुत्र स्व.श्री गुरदीप सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

11– जसविन्द्र कौर धर्मपत्नी श्री मेजर सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

12– बूटा सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सादुलश[illegible] श्रीगंगानगर।

13– अमृतपाल सिंह पुत्र श्री गुरमुख सिंह पुत्र श्री [illegible] जाति जट सिख निवासी खारा चक (किलावाली) तहसील सा[illegible]

14– क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा [illegible] खारी जरिये [illegible]खा प्रबंधक तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

15– भारतीय स्टेट बैंक शाखा सादुलशहर जरिये शा[illegible] प्रबंधक तहसील सादुल[illegible]ला श्रीगंगानगर।

16– ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक) शाखा पक्का सारणा जरिये शाखा प्रबंधक तहसील व जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

17— एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा श्रीगंगानगर जरिये शाखा प्रबंधक तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

18— स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ दिनांक 17.06.2021

उपस्थितिः—

1. श्री राजेशदीप राय अभिभाषक, अपीलांट।
2. श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट।
3. श्री रविन्द्र भोभीया राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांकः— 16.08.2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम शीर्षक "रेशम सिंह आदि बनाम रूलदु सिंह आदि" प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के साथ रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण ने स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि अपीलांट/अप्रार्थी संख्या—1 व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 12 की चक 32 एम.एम.के. तहसील हनुमानगढ़ के संयुक्त खाता संख्या 103/95 सम्वत 2075—2078 में पत्थर नम्बर 60/189 (1) किला नम्बर 22, 23 तादादी .506 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर 60/190 (3) किला नम्बर 1 से 4, 7 से 13, 18 से 23 तादादी 4.301 कुल 4.807 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त संयुक्त खाता में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण की बहिस्सा बराबर 0.480 हैक्टेयर अर्थात 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में उक्त संयुक्त खाता की भूमि में पत्थर नम्बर 60/190 (3) किला नम्बर 20 व 21 में कब्जा काश्त है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण की उक्त भूमि के लिए सिंचाई विभाग द्वारा अलग से सतरोजा बाराबंदी की पर्ची जारी की हुई है तथा इस भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण का कब्जा काश्त की जांच करते हुए अप्रार्थी संख्या—15 ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने वित्तीय सुविधा प्रदान की हुई है। उक्त संयुक्त खाता में प्रार्थीगण की 0.480 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में मुश्तर्का दर्ज है ... रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण ... वितरण को लेकर अक्सर तनाजा रहता है, इस ... प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की 0.480 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते हैं। अपीलांट/अप्रार्थी संख्या—1 रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण का नजदीकी रिश्तेदारी में चाचा लगता है तथा उसका इस संयुक्त खाता में 1.468 हैक्टेयर अर्थात 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील ... हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

बीघा 16 बिस्वा का हिस्सा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण का विशेषकर अपीलांट/अप्रार्थी संख्या–1 के साथ सीव, बट को लेकर तनाजा रहता है तथा वह रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के हक व हिस्सा की सिंचाई विभाग द्वारा जारी बाराबंदी के अनुसार सिंचाई व्यवस्था में भी व्यवधान कारित करता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में पत्थर नम्बर 60/190 (3) के किला नम्बर 20 व 21 में कब्जा काश्त है तथा वर्तमान में इस भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण ने ग्वार की फसल काश्त की हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र के जरिये यह अनुतोष चाहा कि ताफैसला दावा अपीलांट/अप्रार्थी संख्या–1 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वह चक 32 एम.एम.के. के खाता संख्या 103/95 तादादी 4.807 हैक्टेयर में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के हक व हिस्सा 0.480 हैक्टेयर भूमि जो उनके कब्जा में पत्थर नम्बर 60/190 (3) के किला नम्बर 20 व 21 है, में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के कब्जा काश्त एवं सिंचाई व्यवस्था में कोई व्यवधान कारित करने से निषिद्व रहे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर एकपक्षीय बहस सुनी व अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.06.2021 को एकपक्षीय स्थगन जारी कर प्रश्नगत भूमि चक नम्बर 32 एम.एम.के. के खाता संख्या 103/95 तादादी 4.807 हैक्टेयर में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के हक व हिस्सा 0.480 हैक्टेयर भूमि उभयपक्षकारान आगामी आदेश तक एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी न करने तथा सिंचाई व्यवस्था में व्यवधान न करने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्व अपीलांट/अप्रार्थी संख्या–1 ने इस न्यायालय में यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ ने दिनांक 17.06.2021 को एकपक्षीय स्थगन जारी कर प्रश्नगत भूमि चक नम्बर 32 एम.एम.के. के खाता संख्या 103/95 तादादी 4.807 हैक्टेयर में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण के हक व हिस्सा 0.480 हैक्टेयर भूमि उभयपक्षकारान आगामी आदेश तक एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी न करने तथा सिंचाई व्यवस्था में व्यवधान न करने का आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना सम्प्रेषित नहीं ... आदेश अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है ... विपरीत पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व ... हैक्टेयर भूमि मुश्तर्का खाते की है। अपीलांट उपरोक्त भूमि का मुश्तर्का ...तेदार है। कानूनन मुश्तर्का खाते के सह खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त नहीं कर सकते। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कब्जा के सम्बंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने मूल वाद पत्र में विकल्प में अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के वाद पत्र के अभिवचनों के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने प्रश्नगत भूमि पर कब्जा न होने के कथनों को दबी जुबान में स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दुओं के सम्बंध में कोई विवेचना नहीं की। अपीलांट रूलदु सिंह स्वयं का शपथ पत्र व बलविन्द्र सिंह पुत्र बख्तावर सिंह व हरबंस सिंह पुत्र धन सिंह, बलकरण सिंह पुत्र मेजर सिंह, सुरेन्द्रपाल सिंह उर्फ सिकन्दर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह, जसकरण सिंह पुत्र गुरदेव सिंह के शपथ पत्रों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया तथा निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता दर्शन सिंह अपीलांट के सगे चाचे का पुत्र है तथा मल सिंह व भाग सिंह की कृषि भूमि चक 32 एमएमके व 36 एमएमके तहसील सादुलशहर में थी तथा चक 32 एमएमके के पत्थर नम्बर 60/190 (3) किला नं0 1, 4, 7, 10, 11, 20, 21 कुल 1.771 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलांट के पिता को घरू बंटवारा में प्राप्त हुई थी। उपरोक्त 7 बीघा कृषि भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा ना ही रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का प्रश्नगत भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत खेत पड़ौसियों के शपथ पत्र में भी अपीलांट का कब्जा होना बताया है व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का इस खाता के किसी भी भू-भाग पर कोई कब्जा नहीं होने के कथन किये हैं। अपीलांट ने अपनी बहस में यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का चक 2 एमएमके के पत्थर नम्बर 60/190 (3) किला नम्बर 20 व 21 में कब्जा हो। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में एक दूसरे के कब्जे में दखलंदाजी न देने का आदेश पारित किया है जो भ्रामक है तथा निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने हक व हिस्सा की .480 हैक्टेयर भूमि को बैंक के रहन रख रखा है तथा इस भूमि पर कब्जा अपीलांट का है जिस पर ग्वार की फसल काश्त की हुई है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र से अपीलांट का कब्जा साबित नहीं होता बल्कि उपरोक्त भूमि पर कब्जा रेस्पोडेंट संख्या 1 [illegible] पास्त हेतु अपील में लिये गये आधार मिथ्या हैं। अधी[illegible] का अवलोकन कर सही निर्णय पारित किया है जो विधि स[illegible] है। अत: अपील [illegible] लांट खारिज फरमायी जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया [illegible] अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी आदेश तक एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखलंदाजी न करने व सिंचाई व्यवस्था में व्यवधान कारित न करने के आदेश पारित किये हैं, लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

अपीलांट व रेस्पोडेंट का कब्जा किन–किन किलों पर है, इस सम्बंध में कोई विवेचन नहीं किया। प्रश्नगत भूमि मुश्तर्का खाता की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं थी जिससे यह साबित हो कि पत्थर नम्बर 60/190 (3) किला नम्बर 20 व 21 में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का कब्जा हो। अपीलांट की ओर से कुल 6 शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से एक स्वयं का शपथ पत्र व पांच अन्य व्यक्तियों के पेश किये गये हैं जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 6 व 8 का भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया है व अन्य शपथ पत्र भी खेत पड़ौसियों के हैं जिसमें कब्जा अपीलांट का बताया गया है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का प्रश्नगत खाता की किसी भी भूमि पर कभी भी कब्जा न होने के कथन किये गये हैं। चूंकि उक्त प्रकरण में जवाब प्रार्थना पत्र आना शेष है, इसलिए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा के सम्बंध में पारित आक्षेपित आदेश मेरी विनम्र राय अनुसार विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है तथा उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 17.06.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय सभी पक्षकारों की विधि सम्मत तामील होने के पश्चात पक्षकारों को जवाबदेही हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का विधि अनुसार सुनवाई कर निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:09 IST
Reason: SelfAttested

16/8/21

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner